

पत्रावली फंश डूरी वकील जर्षी अनुपरिव्यत हें। प्राणीगन स्वयं भी
अनुपरिव्यत हें। रनकी ओर से कोई अन्य वकील भी उपरिव्यत नही हें।
बार-बार आवाजे लगवाही गरी-परल्लु न्यायालय समपत्रक
कोई भी उपरिव्यत नही हें। अलः राजस्व धारिना फन अहम
दाजरी अहम पैरवी मे खारिज किया जाता हें। पत्रावली केवल
शुमार हें। मम्बर से कम धेकर दायित दायत हें।

उपखण्ड अधिकारी
मिनाय (अजमेर)